136

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

अरुण कुमार कुशवाहा पिता बुध्दसेन कुशवाहा उम्र 50 वर्ष, निवासी कुठुलिया, वार्ड क्र. 45 रीवा, तहसील हुजूर, जिला रीवा, म0प्र0 ----- निगरानीकर्ता

निग-526-म-16

बनाम

1- श्यामसुन्दर कुशवाहा पिता स्व. महावीर कुशवाहा उम्र 62 वर्ष,

2- रामभरोसा कुशवाहा पिता स्व. महावीर कुशवाहा उम्र 70 वर्ष,

3- बुध्दसेन कुशवाहा पिता महावीर कुशवाहा उम्र 72 वर्ष

सभी निवासी ग्राम कुठुलिया, तहसील हुजूर, जिला रीवा, म0प्र0,

--- गैरनिगरानीकर्तागण

श्री...
द्वारा आज दि.............................को
प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

W3
मुकेशमालवि
12-2-16 एडवोकेट
ग्वालियर

प्रस्तुत द्वारा श्री ... अभिभाषक
12-2-16

निगरानी विरुध्द तहसीलदार महोदय, तहसील हुजूर, जिला रीवा के आदेश दिनांक 14.1.16 प्रकरण क्र. 195/अ-6/11-12, के विरुध्द निगरानी

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 ई.।

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न है:-

1:- यह कि आराजी नं0 349 रकबा 3.70 एकड़, 350 रकबा 0.30 एकड़, 407 रकबा 0.10 एकड़ स्थित भूमि ग्राम कुठुलिया, को गैरनिगरानीकर्तागणों ने 6 मार्च 1975 को क्रय किया था, और तीनों भाई अपने-अपने हिस्से के मुताबिक 1/3, 1/3 हिस्से मे काबिज रहे आये।

2:- यह कि गैर निगरानीकर्ता क्र. 1 ने गैरनिगरानीकर्ता क्र. 2, 3 को बिना सूचना सम्मन के बटनवारा 30.3.2002 को एक फर्जी बटनवारा बनाकर गैर

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक 526–दो/2016 निगरानी जिला रीवा

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25-10-2017	यह निगरानी तहसीलदार हुजूर जिला रीवा के प्रकरण कमांक 195अ–6/11–12 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 14–1–2016 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर में दिनांक 12–2–14 को प्रस्तुत की गई है। 2/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करते हुये तहसीलदार हुजूर जिला रीवा के प्रकरण कमांक 195अ–6/11–12 का अवलोकन किया गया। तहसीलदार हुजूर ने इस प्रकरण का अंतिम निराकरण आदेश दिनॉक 8–2–16 से कर दिया है, जबकि विचाराधीन निगरानी राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर में दिनांक 12–2–14 को प्रस्तुत हुई है जिसके कारण निगरानी प्रचलन–योग्य नहीं रही है। आवेदक चाहे इस आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करके प्रतिलिपि प्राप्ति दिनांक से 15 दिवस के भीतर सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है। तद्नुसार निगरानी इसी–स्तर पर समाप्त की जाती है। सदस्य	